



dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in
टैली, फ़ैक्स नं०-01360-275078

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्रांक-765 / 12-1

दिनांक, चकराता 01 सितम्बर 2020

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, पी.एम.जी.एस.वाई.
लोक निर्माण विभाग, कालसी।

विषय:- जनपद-देहरादून में पी०एम०जी०एस०वाई अन्तर्गत कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.0835 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संदर्भ - अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक-459 दि० 18.06.2020

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र सं०-8बी/यू०सी०पी०/06/209/2019/एफ०सी०/866 दि० 06.08.2020 से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून के संदर्भित पत्र के अनुपालन में विषयाकित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रत्यावेदन के फलस्वरूप प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा देय धनराशियों का विवरण निम्नानुसार है -

क्र०सं०	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल/लम्बाई	दर	देय धनराशि
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों के अनुरक्षण पर व्यय।	6.17 है०	3,37,184/-	20,80,425.00
2	एन०पी०वी०	3.0835 है०	6,99,000/-	21,55,367.00

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार ऑनलाईन चालान जनरेंट कर देय धनराशियों के भुगतान हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीप चन्द्र आर्य)

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्रांक-765 / 12-1 तददिनांकित

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(दीप चन्द्र आर्य)

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।